

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा श्री राज कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव चिल्ला, डाकघर नोआ, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती रंजना पुत्री श्री रोशन लाल, निवासी गांव हुगाल, डाकघर व तहसील पांगी, जिला चम्बा, हि0प्र0 प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव चिल्ला, डाकघर नोआ, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती रंजना पुत्री श्री रोशन लाल, निवासी गांव हुगाल, डाकघर व तहसील पांगी, जिला चम्बा, हि0प्र0 ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 20-08-2021 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत कचौली, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 20-08-2021 को दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-07-2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री राज कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव चिल्ला, डाकघर नोआ, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती रंजना पुत्री श्री रोशन लाल, निवासी गांव हुगाल, डाकघर व तहसील पांगी, जिला चम्बा, हि0प्र0 के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत कचौली, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।
